130

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 3675-तीन/2013 - विरूद्ध आदेश दिनांक 12-8-2013 - पारित व्दारा - कलेक्टर जिला सिंगरोली - प्रकरण कमांक 17/2012-13 निगरानी

जमुनाप्रसाद पुत्र अभयराज बैसवार
ग्राम बन्धा तहसील सरई जिला सिंगरोली ---- आवेदक

विरूद्ध

1- मध्य प्रदेश शासन
2- विद्या प्रसाद 3- रमेश 4- दुनियाराम
5- रामपति पुत्रगण मूलनराम शर्मा
6- शीतल 7- कमलेश पुत्रगण बंशपतीराम शर्मा
8- रामप्रसाद सिंह 9- बदल सिंह पुत्रगण लखपतिसिंह
10- भैयालाल सिंह पुत्र ददन सिंह
11- भैयालाल 12- वृजेश
13- सुरेश पुत्रगण अमरजीत तिवारी
14- गिरिजाप्रसाद पुत्र मूलनराम शर्मा
15- छोटानी पुत्र चन्दू कोल
सभी ग्राम बंधा तहसील सरई जिला सिंगरोली -----अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक सूचना उपरांत अनुपस्थित)
(आवेदकगण के अभिभाषक श्री नवल किशोर मिश्रा)

आ दे श

(आज दिनांक 18-07-2018 को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर जिला सिंगरोली के प्रकरण कमांक 17/2012-13 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 12-8-2013 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम बन्धा स्थित भूमि सर्वे कमांक 214 बंदोवस्त के वाद नवीन सर्वे कमांक 759, 761, 763, 764, 765, 766, 771, एंव भूमि सर्वे कमांक 212 बंदोवस्त के वाद नवीन सर्वे कमांक 745, 746, 747 (आगे जिन्हें वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया जावेगा) बंदोवस्त के पूर्व मध्य प्रदेश शासन, जंगल भूमियॉ अभिलेख में दर्ज रही है ।

कलेक्टर जिला सिंगरोली के समक्ष ग्रामीणों व्दारा इस आशय की शिकायत की गई कि वादग्रस्त भूमियों के खसरा कागजात पर सन 1950 के वाद जमुना प्रसाद का नाम बिना किसी सक्षम आदेश के दर्ज किया गया है, वादग्रस्त भूमियों में से 6-50 एकड़ भूमियां जमुना प्रसाद ने विक्रय कर दी है एंव शेष भूमि के भी विक्रय के प्रयास में है, कार्यवाही की जावे। कलेक्टर जिला सिंगरोली ने शिकायत तथ्यों की जांच अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली से कराई। अनुविभागीय अधिकारी से जांच प्रतिवेदन दिनांक 17-11-11 प्राप्त होने पर जमुना प्रसाद को सुनवाई के लिये तलब किया गया। उनके व्दारा आपत्ति करने पर पुनः तहसीलदार तहसील सरई से जांच कराई गई। दोनों जांच प्रतिवेदनों से यह तथ्य उजागर हुआ कि सन 1958-59 में यह भूमियॉ मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज रही है किन्तु बिना किसी आधार के जमुना प्रसाद के नाम अंकित की गई है। फलतः कलेक्टर सिंगरोली ने आवेदक के विरूद्ध निगरानी प्रकरण कमांक 17/2012-13 पॅजीबद्ध किया तथा आवेदक को सुनवाई हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कलेक्टर के समक्ष बचाव में आवेदक ने लेखी उत्तर प्रस्तुत किया तथा आगामी पेशी तर्क हेतु लेकर अनुपस्थित हो जाने के उपरांत कलेक्टर सिंगरोली ने प्रकरण कमांक 17/2012-13 निगरानी में आदेश दिनांक 12-8-2013 पारित किया तथा ग्राम बन्धा की भूमि सर्वे कमांक 759, 761, 763, 764, 765, 766, 771 पर से शासकीय अभिलेख से आवेदक का नाम विलोपित करते हुये भूमियां मध्य प्रदेश शासन के नाम पूर्ववत् दर्ज करने की आज्ञा प्रदान की। कलेक्टर जिला सिंगरोली के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहे है किन्तु प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त न करते हुये न्याय की दृष्टि से मामले का निराकरण गुणदोष के आधार पर किया जा रहा है। अनावेदकगण के अभिभाषक ने लिखित बहस प्रस्तुत की। निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों , अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस के तथ्यों, अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों , अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस के तथ्यों के कम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से

परिलक्षित है कि कलेक्टर जिला सिंगरोली के प्रकरण कमांक 17/2012-13 निगरानी में संलग्न अभिलेख अनुसार ग्राम बन्धा स्थित भूमि सर्वे कमांक 214 बंदोवस्त के वाद नवीन सर्वे कमांक 759, 761, 763, 764, 765, 766, 771 खतौनी वर्ष 1958-59 में दर्ज प्रविष्टि अनुसार यह भूमियॉ इस प्रकार दर्ज है -

खसरा नंबर 214 - म0प्र0शासन वर्ग-9 के उपवर्ग 5 (जंगल) वर्ग

जव खतौनी वर्ष 1958-59 में वादग्रस्त भूमियॉ उक्त मद में दर्ज है आवेदक व्दारा कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत लेखी उत्तर में इन भूमियों को उसके पिता अभयरा के नाम दर्ज होना उल्लेखित किया है जो उक्त प्रविष्टि से असत्य है। इसी प्रकार खसरा वर्ष 1953-54 में उक्तांकित भूमियां आवेदक ने उसके पिता के नाम दर्ज होना बताया है किन्तु पुष्टिकरण में कलेक्टर सिंगरोली के समक्ष कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है।

कलेक्टर सिंगरोली ने आदेश दिनांक 12-8-2013 के पद-4 के नीचे निष्कर्ष दिया है कि अनावेदक (इस न्यायालय का आवेदक) व्दारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार वर्ष 1967-68 से प्रश्नाधीन भूमि 214 का बटांकन कर बटा नंबर 214/2 रकबा 15-15 एकड़ आवेदक के पिता अभयराज तनय बुद्धलाल बैसावार के नाम भूमिस्वामी स्वत्व में दर्ज है परन्तु भूमिस्वामी स्वत्व किस सक्षम अधिकारी के किस प्रकरण में किस आदेश को पारित करके दर्ज किया गया है, इसका उल्लेख अनावदेक ने उत्तर में किया है परन्तु पुष्टिकरण में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर शासकीय भूमि का भूमिस्वामी स्वत्व विधि के सम्यक अनुक्रम में अनावेदक के पिता को प्राप्त होना माना जा सके। प्रश्नाधीन भूमियों पर अनावेदक का अथवा उसके किसी पूर्वज का कब्जा-कास्त होना किन्हीं अभिलेखीय साक्ष्य से एंव स्थल निरीक्षण से प्रमाणित नहीं है, बल्कि प्रश्नाधीन भूमियां अन्य व्यक्तियों के कास्त एंव आवादी की भूमियां पाई गई हैं।

कलेक्टर सिंगरोली ने आदेश दिनांक 12-8-2013 के पद-4 के उप पद में इस प्रकार निष्कर्ष दिया है :-

- उपरोक्त से यह प्रमाणित है कि प्रश्नाधीन भूमि खसरा नंबर 214 रकबा 23-66 एकड़ अथवा उसके किसी अंशभाग के भूमिस्वामी स्वत्व अनावेदक के पिता को कभी भी किसी सक्षम अधिकारी व्दारा पारित आदेश के तहत प्रदान नहीं किये गये थे, वल्कि संबंधित पटवारी की मिली भगत से वगैर किसी सक्षम आदेश के अनावेदक के पिता का नाम अभिलेखों में भूमिस्वामी स्वत्व में दर्ज कर दिया गया था। वैसे भी जंगल किस्म की दर्ज जमीन जो कि दखलरहित भूमियों से भिन्न श्रेणी की भूमि थी, का भूमिस्वामी स्वत्व नियमानुसार प्रदान नहीं किये जा सकते। *

अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली के जांच प्रतिवेदन में एंव तहसीलदार सरई के पुर्नजांच प्रतिवेदन में भी इसी प्रकार के तथ्य हैं जिसके कारण आवेदक की ओर से प्रस्तुत निगरानी के तथ्य वास्तविकता के विपरीत है। यह भी आभाषित है कि आवेदक के मन में फर्जी प्रविष्टियों में फॅसने आशॅका होते ही कलेक्टर सिंगरोली के समक्ष लिखित उत्तर प्रस्तुत करने एंव तर्क हेतु समय लेने के वाद जाबूझकर अनुपस्थित हुआ है एंव इस न्यायालय में निगरानी में तर्क हेतु नियत तिथि को सूचना उपरांत भी अनुपस्थित रहे हैं जिसके कारण आवेदक व्दारा प्रस्तुत निगरानी वास्तविक तथ्यों के विपरीत है एंव मध्य प्रदेश शासन जंगल मद की भूमि कब्जाने का तथ्य भी उक्त से परिलक्षित हुआ है क्योंकि आवेदक का माननीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 देवसर जिला सिंगरोली के न्यायालय में वादित भूमियों के स्वत्व एंव स्वामित्व का दायर किया गया व्यवहार वाद क्रमांक 48 ए/14 भी आदेश दिनांक 25-7-2016 निरस्त हो चुकी है , जिसके कारण कलेक्टर जिला सिंगरोली व्दारा पारित आदेश दिनांक 12-8-2013 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव कलेक्टर जिला सिंगरोली व्दारा प्रकरण क्रमांक 17/2012-13 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 12-8-2013 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर